वित्तीय स्वीकृति

संख्या-20/2016/977/52-3-16-बजट(12)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
□ल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□ □

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, लखनऊः दिनांक 22 मार्च, 2016

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत परम्परागत धार्मिक शिक्षा प्रदान कर रही संस्थाओं में आधुनिक विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सांइस व मैथ कि , पुस्तकालय की स्थापना करने हेतु सामग्री आदि के क्रय के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश 0-342/52-3-16-□□□(12)/15, दिनांक 19.2.2016 को निरस्त करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि □□□□□□ □0-1062/52-3-15-□□□(12)/15, दिनांक 25.5.2015 द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत रू0 22,73,53,000/- की धनराशि स्वीकृत कर चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण (के0 100/□□0-□□0)-20-□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□ □□□) के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी थी। जिसमें सांइस व मैथ किट, पुस्तकालय की स्थापना करने हेतु सामग्री के क्रय की रू0 06,03,53,000/- की धनराशि सम्मिलित थी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत लाट सं0-456, 273 □ 672 □□ आच्छादित 1340 मदरसों में सांइस व मैथ किट, पुस्तकालय की स्थापना करने हेतु सामग्री के क्रय हेतु 0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को रू0 08,71,02,000/- के प्रोफार्मा बिल के सापेक्ष 90 प्रतिशत अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ भारत सरकार से प्राप्त धनराशि 0 06,03,53,000/- को दृष्टिगत रखते हुये प्रोफार्मा बिल के आधार पर कुल रू0 06,03,53,000/- की धनराशि का अग्रिम निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के □□□□ □□□□□□ 1062/52-3-15-□□□(12)/15, दिनांक 25.5.2015 द्वारा स्वीकृत धनराशि से किये जाने की सहमति प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त अग्रिम धनराशि का भुगतान संबंधित संस्था को एक मुश्त न करते □□□ 02 किश्तों में किया जायेगा। जिसकी पहली किश्त में रू0 04,35,50,000/- का अग्रिम आहरण किया जायेगा तथा दूसरी कि अगले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अग्रिम के 75 प्रतिशत धनराशि के उपयोग होने के पश्चात आपूर्तित सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही प्रदान की जायेगी।

(2) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक या उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक, जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित क□□, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

3. सामग्री के कुल मूल्य के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 02,67,47,000/- (रू0 दो करोड़ सरसठ लाख सैतालिस हजार मात्र) □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ धनराशि प्राप्त हो जाने के उपरान्त किया जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-□□ □-1-120/□□-2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकत□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-977/52-3-16 तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- □□□□□□□□ (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2- □□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, □□□□□□□□ (□□□-प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड, इला□□□□

4- कोषाधिकारी, उ□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 □□□□□

5- वित्त (ई-11) □□□□/वित्त (लेखा□□) □□□□-1□

6- □□□□□, □0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, जवाहर □□□, □□□□□

7- कम्प्यूटर आपरे□□, अल्पसंख्यक कल्याण अनु0-3 को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेब साइड पर अपलोड करने हेतु।

8- गार्ड फाईल।

[redacted]

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□□
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।